

2019/00176

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अदालत मुकाम वपाना
 किरत मुकदमा उपम अत नाम उपम अत सन 20/2019
प्रमामा वारा 136 अत

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीज में जारी हुए
20/11/19	<p>प्रामाणा पत्र 52 रजिस्ट्रार के नवनीत वपाना से प्रामाणा पत्र अतः प्रामाणा व न्याय की सिफारिश है कि प्रामाणा प्रमामा अतः 20/11/19 को पेश है।</p>	
20/11/19	<p>प्रामाणा अतः 20/11/19 को अतः प्रामाणा प्रमामा अतः 20/11/19 को पेश है।</p>	
20/11/19	<p>प्रामाणा अतः 20/11/19 को अतः प्रामाणा प्रमामा अतः 20/11/19 को पेश है।</p>	
20/11/19	<p>प्रामाणा अतः 20/11/19 को अतः प्रामाणा प्रमामा अतः 20/11/19 को पेश है।</p>	
20/11/20	<p>प्रामाणा अतः 20/11/20 को अतः प्रामाणा प्रमामा अतः 20/11/20 को पेश है।</p>	

तारीख
हुक्म

प्राचीन पत्र पेश होने पर जज रिजिस्टर का तहसीलदार वपाना के अफसान मुह जिमा पाना को उपभाग शुरू किया जाना उचित है। अतिरिक्त मिनाया राजस्व आधिकारिक तहसीलदार वपाना द्वारा पूरुदा विधि का आलोचना प्रयोग प्रशासकीय सल्लाह नामात्मक 1531 डिमांड 23.1.1985 के कलम 09 में शुरू व उपभाग कर रहे। जमावकी संवत् 2151-70 में उपभाग को उपपक्ष की कृपा शक्ति जो कलम चला आ रहा है यह चार कोने प्रवचन होना, विह है। प्राचीन पत्र प्राचीन स्वीकार मोजम है।

अतः प्राचीन पत्र प्राचीन स्वीकार जिमा पाना है। तहसीलदार वपाना के आदेशों के अंतर्गत जिमा जाया है कि शक प्रसिद्ध रखा के नवीन खान सल्लाह 59 में की आराजी में प्राचीन का नाम उपपक्ष पुत्र भन्नी के स्थान पर शुरू नाम उपपक्ष पुत्र भन्नी करे। पालना की विधि की प्राचीन तहसीलदार वपाना के विवादों में प्रशासकीय सल्लाह होकर नखर से कम हो। वाद तहसील दाखिल सफर है। आदेश अतिरिक्त प्रसिद्ध रखा में द्वारा लिखा जाकर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
बनना (भरतपुर)